बिहार सरकार
खेल विभाग

।। प्रेस नोट।।

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना ज्ञापांक–मं0मं0–01/मंत्रिपरिषद्–01/2024–37, दिनांक–09.01.2024 द्वारा नए खेल विभाग (Department of Sports) का गठन किया गया है।

बिहार के विभिन्न आयुवर्ग के एथलीटों के लिए दीर्घकालिक एथलीट विकास कार्यक्रम के सफल कार्यान्वयन के लिए "बिहार खेल छात्रवृति योजना, 2024" की स्वीकृति का प्रस्ताव है।

बिहार में एक मजबूत खेल परिस्थितिकी तंत्र स्थापित करने हेतु बुनियादी स्तर से विशिष्ट स्तर तक के विभिन्न आयु वर्गों के एथलीटों के लिए छात्रवृत्ति योजनाओं को लागू किया जाना है। प्रत्येक खिलाड़ी को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जो 'दीर्घकालिक एथलीट विकास' के 24 खेल विधाओं में 03 स्तरों पर अर्थात् बुनियादी स्तर (Grassroots) में चयनित 500 खिलाड़ियों को प्रति वर्ष अधिकतम ₹3,00,000/– (तीन लाख रुपये) मात्र प्रति खिलाड़ी, विकासात्मक स्तर (Developmental) में 200 खिलाड़ियों को प्रति वर्ष अधिकतम ₹5,00,000/– (पाँच लाख रुपये) मात्र प्रति खिलाड़ी और विशिष्ट स्तर (Elite) में 25 खिलाड़ियों को प्रति वर्ष अधिकतम ₹20,00,000/– (बीस लाख रुपये) मात्र प्रति खिलाड़ी को वित्तीय सहायता से संबंधित है। दीर्घकालिक एथलीट विकास के प्रत्येक स्तर पर खिलाड़ियों के लिए उच्च शिक्षा प्राप्त करने के अवसर भी शामिल हैं।

14.3.2024

(डॉ0 बी0 राजेन्दर),
सरकार के प्रधान सचिव,
खेल विभाग, बिहार, पटना।

गोपनीय / मुहरबंद

बिहार सरकार
<u>खेल विभाग</u>

।। मंत्रिपरिषद् के अनुमोदन हेतु संलेख ।।

विषय :– **बिहार के विभिन्न आयुवर्ग के एथलीटों के लिए दीर्घकालिक एथलीट विकास कार्यक्रम के सफल कार्यान्वयन के लिए ''बिहार खेल छात्रवृति योजना, 2024'' की स्वीकृति एवं इस पर प्रतिवर्ष अनुमानित ₹30.00 करोड़ रूपये मात्र के व्यय की स्वीकृति।**

बिहार में मजबूत खेल पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करने हेतु युवा प्रतिभाओं की पहचान कर वित्तीय सहायता, उच्च शिक्षा, पोषण एवं प्रगति को वैज्ञानिक रूप से टैग करके बुनियादी स्तर से विशिष्ट स्तर तक के विभिन्न आयुवर्ग के एथलीटों के लिए दीर्घकालिक एथलीट विकास कार्यक्रम के सफल कार्यान्वयन के लिए ''बिहार खेल छात्रवृति योजना, 2024'' लागू किया जाना है।

2. विदित हो कि मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना ज्ञापांक–मं0मं0–01 / मंत्रिपरिषद्–01 / 2024–37, दिनांक–09.01.2024 द्वारा नए खेल विभाग (Department of Sports) जोड़ा गया तथा उनके अधीन कंडिका–2 में आवंटित कार्य के आलोक में खिलाड़ियों के कल्याण से संबंधित सभी कार्यों का विकास किये जाने की आवश्यकता है।

3. बिहार में एक मजबूत खेल परिस्थितिकी तंत्र स्थापित करने हेतु बुनियादी स्तर से विशिष्ट स्तर तक के विभिन्न आयु वर्गों के एथलीटों के लिए छात्रवृत्ति योजनाओं को लागू किया जाना है। प्रत्येक खिलाड़ी को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जो 'दीर्घकालिक एथलीट विकास' के 03 स्तरों अर्थात् बुनियादी स्तर (Grassroots), विकासात्मक स्तर (Developmental) और विशिष्ट स्तर (Elite) से संबंधित है। दीर्घकालिक एथलीट विकास के प्रत्येक स्तर पर खिलाड़ियों के लिए उच्च शिक्षा प्राप्त करने के अवसर भी शामिल हैं।

4. ''बिहार खेल छात्रवृति योजना, 2024'' के अंतर्गत राज्य के अंदर वित्त पोषण के अवसरों की कमी को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा दीर्घकालिक एथलीट विकास कार्यक्रमों के सफल कार्यान्वयन एवं राज्य भर में युवा प्रतिभाओं की पहचान करने और उनका पोषण करने, उनकी प्रगति को वैज्ञानिक रूप से टैग करके विशिष्ट स्तर तक पहुँचने तक उन्हें राज्य के भीतर बनाए रखने और लंबे समय में उन्हें उपयुक्त शिक्षा का अवसर प्रदान की जा सकेगी। इस योजना के तहत 24 खेल विधाओं के खिलाड़ियों को वित्तीय सहायता प्रदान किया जाना है, जिसमें प्राथमिकता के आधार पर प्रथम चरण में 24 खेल विधाओं (एथलेटिक्स, बैडमिंटन, साईक्लिंग, तलवारबाजी, कबड्डी, पैरा

स्पोर्ट्स, रग्बी, सेपक टाकरा, तैराकी, टेबल टेनिस, ताईक्वांडो, वॉलीबॉल, भारोत्तोलन, कुश्ती, फुटबॉल, तीरंदाजी, बॉक्सिंग, शतरंज, मूक बधीर और विशेष खेल, हॉकी, लॉन बॉल, निशानेबाजी, वाटर स्पोर्ट्स एवं वुशू) के खिलाड़ियों का चयन किया जाना है।

''बिहार खेल छात्रवृति योजना, 2024'' को तीन स्तरों पर क्रियान्वयन किया जाना है, जो निम्नवत है :–

(i) बुनियादी स्तर 'प्रेरणा' – यह योजना कम उम्र के खिलाड़ियों की भागीदारी प्रोत्साहित करने में सहायक होगी। इसके तहत बुनियादी स्तर के एथलीटों की सही उम्र में प्रतिभा की खोज कर पोषण पर ध्यान केन्द्रित कर वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। 12–18 वर्ष के आयु वर्ग के प्रतिभाशाली एथलीटों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी ताकि उनके दीर्घकालिक विकास के लिए आवश्यक अच्छी कोचिंग और उपकरण पहुँच सके। 'प्रेरणा' के तहत प्रथम चरण 300 खिलाड़ियों तथा द्वितीय चरण में 200 खिलाड़ियों कुल 500 खिलाड़ियों का चयन कर वित्तीय सहायता प्रदान किया जाना है। जिसके तहत खिलाड़ियों को उपकरण, किट, वैज्ञानिक प्रशिक्षण, राष्ट्रीय आयोजनों के लिए यात्रा भत्ता, व्यापक बीमा पॉलिसी, अन्य भत्ता एवं टयूशन शुल्क समर्थन दी जा सकेगी। इसके अंतर्गत 24 खेल विधाओं में चयनित 500 खिलाड़ियों को प्रति वर्ष अधिकतम **₹** 3,00,000/– (तीन लाख रुपये) मात्र प्रति खिलाड़ी वित्तीय सहायता दी जायेगी।

(ii) विकासात्मक स्तर 'सक्षम' – यह योजना प्रतिभावान खिलाड़ियों को देश का प्रतिनिधित्व करने योग्य बनाने में सहायक होगी। इसके तहत 12–24 वर्ष के आयु वर्ग के ऐसे एथलीटों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जो विशिष्ट (Elite) स्तर से राज्य स्तर पर उत्कृष्ट प्रतिभा हो तथा जूनियर नेशनल में पदक जीते हों या सीनियर नेशनल में भाग लिये हों। 'सक्षम' के तहत प्रथम चरण में 120 खिलाड़ियों तथा द्वितीय चरण में 80 खिलाड़ियों कुल 200 खिलाड़ियों का चयन कर वित्तीय सहायता प्रदान किया जाना है। जिसके तहत खिलाड़ियों को उपकरण, किट, वैज्ञानिक प्रशिक्षण, राष्ट्रीय आयोजनों के लिए यात्रा भत्ता, अन्तर्राष्ट्रीय आयोजनों के लिए यात्रा भत्ता (केवल वीजा प्रसंस्करण शुल्क, हवाई टिकट, बोर्डिंग और आवास), विदेशी प्रशिक्षण, खेल विज्ञान सहायता, व्यक्तिगत पोषण सहायता, खाद्य अनुपूरक (यदि आवश्यक हो या अनुमोदित हो), व्यापक बीमा पॉलिसी, अन्य भत्ता, टयूशन शुल्क एवं अंतर्राष्ट्रीय पैरालिंपिक समिति के दिशानिर्देशों के अनुसार एस्कॉर्ट का खर्च दिया जा सकेगा। इसके अंतर्गत 24 खेल विधाओं में चयनित 200 खिलाड़ियों को प्रति वर्ष अधिकतम **₹** 5,00,000/– (पाँच लाख रुपये) मात्र प्रति खिलाड़ी वित्तीय सहायता दी जायेगी।

(iii) विशिष्ट स्तर 'उड़ान' – यह योजना एथलीटों को ओलम्पिक स्तर की योग्यता हासिल करने में सहायक होगी। इसके तहत 20 वर्ष से अधिक उम्र के

ऐसे एथलीटों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जो सीनियर राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक जीते हों तथा जुनियर या सीनियर अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लिये हों। 'उड़ान' के तहत कुल 25 खिलाड़ियों का चयन कर वित्तीय सहायता प्रदान किया जाना है। जिसके तहत खिलाड़ियों को उपकरण, किट, वैज्ञानिक प्रशिक्षण, राष्ट्रीय आयोजनों के लिए यात्रा भत्ता, अन्तर्राष्ट्रीय आयोजनों के लिए यात्रा भत्ता (केवल वीजा प्रसंस्करण शुल्क, हवाई टिकट, बोर्डिंग और आवास), विदेशी प्रशिक्षण, खेल विज्ञान सहायता, व्यक्तिगत पोषण सहायता, व्यक्तिगत प्रशिक्षकों की नियुक्ति (06 माह अवधि के लिए), खाद्य अनुपूरक (यदि आवश्यक हो या अनुमोदित हो), व्यापक बीमा पॉलिसी, अन्य भत्ता, टयूशन शुल्क एवं अंतर्राष्ट्रीय पैरालिंपिक समिति के दिशानिर्देशों के अनुसार एस्कॉर्ट का खर्च दी जा सकेगी। इसके अंतर्गत 24 खेल विधाओं में चयनित 25 खिलाड़ियों को प्रति वर्ष अधिकतम **₹** 20,00,000/— (बीस लाख रुपये) मात्र प्रति खिलाड़ी वित्तीय सहायता दी जायेगी।

5. प्रत्येक वित्तीय वर्ष में ''बिहार खेल छात्रवृति योजना'' के तहत अनुमानित राशि का अनुमोदन प्रशासी विभाग द्वारा सक्षम प्राधिकार से प्राप्त कर व्यय किया जा सकेगा।

6. उपरोक्त योजना के संबंध में विस्तृत मार्गदर्शिका खेल विभाग, बिहार, पटना द्वारा निर्गत किया जाएगा।

7. प्रशासी विभाग द्वारा समय—समय पर इस योजना की समीक्षा की जा सकेगी एवं इसके सफल क्रियान्वयन हेतु उचित दिशा—निर्देश जारी किया जाएगा।

8. संलेख प्रस्ताव एवं प्रारूप में वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।

9. संलेख प्रस्ताव एवं प्रारूप में विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

10. उपर्युक्त कंडिका—4 एवं 5 पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्रार्थित है।

BRajendra 14·3·2024

(डॉ0 बी0 राजेन्दर.),
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक—3/छा. 1—01/2023.345./ पटना, दिनांक—14. 3./2024

प्रतिलिपि :—संलेख की 50 (पचास) अतिरिक्त प्रतियों के साथ मंत्रिपरिषद् की आगामी बैठक की कार्यावली में सम्मिलित करने हेतु मंत्रिमंडल सचिवालयविभाग, बिहार, पटना को अग्रसारित।

BRajendra 14·3·2024

सरकार के प्रधान सचिव।